अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या : 3064/38-7-13

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजममढ़, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, संतरविदास नगर, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झॉसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मीरजापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, सन्त कबीर नगर, शाहजहॉपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव तथा वाराणसी।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 की द्वितीय छमाही के लिए पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों के सोशल आडिट का कैलेण्डर।

महोदय,

कृपया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्यों का सोशल आडिट किए जाने विषयक शासनादेश संख्या 2245/अड़तीस–7–2012–200 नरेगा/2009, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 का सन्दर्भ लें। उक्त शासनादेश के क्रम में तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी नरेगा स्कीमों की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के अनुपालन में निदेशक, सोशल आडिट, उ0प्र0 द्वारा आपके जनपद के विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की द्वितीय छमाही के लिए कैलेण्डर प्रेषित किया जा चुका है।

2– चयनित ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट किए जाने हेतु ग्राम पंचायत एवं कार्यदाई संस्थाओं द्वारा वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में वर्षवार कराए गए/कराए जा रहे कार्यों का विवरण तथा सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां, जो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य कार्यदाई संस्थाओं द्वारा सत्यापित होंगी, सोशल आडिट ग्रामसभा की खुली बैठक की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व विकास खण्ड कार्यालय पर ही अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाएंगी। खण्ड विकास अधिकारी इसे सुनिश्चित कराएंगे।

3– आप अवगत हैं कि सोशल आडिट सम्पन्न कराने का दायित्व ग्रामसभा का है। अतः उपर्युक्त अभिलेखों की प्रतियां ग्राम पंचायत/कार्यदाई संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर सोशल आडिट टीम को उपलब्ध कराई जाएंगी। सोशल आडिट की प्रक्रिया में कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं अन्य कार्यदाई संस्थाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा वांछित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4— सोशल आडिट टीमों के लिए सोशल आडिट के दौरान मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ना अवश्यसंभावी है। अतः सोशल आडिट टीमों की कठिनाइयों के निवारणार्थ एवं न्हें समय–समय पर मार्गदर्शन देने हेतु टीम को ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटरों की सेवाएं निरन्तर उपलब्ध रहेंगी। समय–समय पर जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर (DSAC) भी पर्यवेक्षण करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि सोशल आडिट टीमों की कठिनाइयों एवं शंकाओं का समाधान तत्परता से हो। उक्त प्रयोजन से ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर (BSAC) का दायित्व होगा कि वह यथा–संभव सोशल आडिट टीम के साथ बने रहें और सोशल आडिट को फैसिलेटेट करें।

5— सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक एवं अन्य कार्यदाई संस्थाओं से संबंधित कर्मचारीगण की उपस्थिति तथा बैठक को सुचारू रूप से सम्पन्न होने के लिए जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती आवश्यक है। सोशल आडिट ग्रामसभा में चर्चा हेतु ड्राफ्ट प्रतिवेदन सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार किया जाएगा और उस पर ग्रामसभा की खुली बैठक में बिन्दुवार चर्चा होगी। सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक का कार्यवृत्त ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा लिखा जाएगा।

6— सोशल आडिट प्रक्रिया एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक शान्तिपूर्वक सम्पन्न होना सोशल आडिट की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। अतः सोशल आडिट टीम को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा देने एवं सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपेक्षित पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए।

7— जून, 2013 तक नियुक्त सभी जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स (DSACs)/ ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर्स (BSACs) को दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में सोशल आडिट की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यदि आपके जनपद में उक्त पदों पर तैनाती न हुई हों और विकास खण्ड में वर्ष 2012–13 में मनरेगा के अर्न्तगत रू0 1.00 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ हो, तो ऐसे ब्लाकों में BSACs की नियुक्तियां तत्काल कर ली जाएं। DSAC का पद प्रत्येक जनपद में भरा जाना है। पदों को भरने के उपरान्त उसकी सूचना तत्काल निदेशक, सोशल आडिट को उपलब्ध कराई जाए ताकि नवनियुक्त DSACs तथा BSACs के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके और कैलेण्डर के अनुसार सोशल आडिट सही ढंग से सम्पन्न हो सके।

8— सोशल आडिट की प्रक्रिया को सम्पन्न कराने में पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन टीमों के गठन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 2245/अड़तीस–7–2012–200नरेगा/2009 दिनांक 4–10–2012 में दिए गए निर्देशों को शासनादेश संख्या 2465/अड़तीस–7–2013–200नरेगा/2009 दिनांक 06–9–2013 द्वारा संशोधित किया गया है। कृपया तद्नुसार निदेशालय द्वारा जारी सोशल आडिट कलेण्डर के दृष्टिगत जिन ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट वर्ष 2013–14 के द्वितीय छमाही में होना है, उनके लिए यदि टीमें गठित न हों तो तत्काल सोशल आडिट टीमों का गठन सुनिश्चित करें।

9— यह अपेक्षित है कि जनपद में सोशल आडिट की प्रक्रिया की सफलता हेतु अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश एवं समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 3064(1)/38-7-13 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
2— निदेशक, सोशल आडिट, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5— समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(उमाकान्त मिश्र)
अनु सचिव।

Rks/Gen.letter/Desktop